

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- कप्तानगंजदहेज हत्या के 03 वांछित आरोपी गिरफ्तार

प्रार्थी श्री रामदेव पुत्र स्व० नक्कू राम साकिन- करीमुद्दीनपुर (गंगापुर) थाना-कोतवाली, जनपद-आजमगढ़ की लड़की रीमा भारती की आज से आठ वर्ष पूर्व शैलेन्द्र कुमार पुत्र राजेश कुमार साकिन कस्बा कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी। प्रार्थी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज उपहार स्वरूप दिया था। शादी होने के बाद जब मेरी लड़की ससुराल गयी तभी से उसके ससुराल के लोग पति शैलेन्द्र कुमार सास उषा देवी, ससुर राजेश पुत्र शिवजोर व शिवजोर व देवर सतेन्द्र व शैलेश व ननद कुसुम हमेशा मेरी लड़की से शादी से मोटर सायकिल न मिलने की मांग को लेकर मेरी लड़की के साथ शारिरीक, मानसिक प्रताड़ना करते रहते थे। मेरी लड़की को आये दिन ताना मेहना मारते थे व गालियां भी दिया करते थे कि मोटर साइकिल नहीं लाओगी तो तुम्हें हम लोग जान से मार देगे। इसकी सूचना मिलने पर प्रार्थी व लड़की के घर वालों के बीच कई बार पंचायत हुई थी तथा थाने पर भी प्रताड़ना की सूचना दिया गया था तथा काफी समस्या भी हो गयी थी। घटना दिनांक 14.10.2019 को समय करीब 11.00 बजे दिन में उसके ससुराल से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोबाइल पर सूचना मिली की आपकी लड़की रीमा की मृत्यु हो गयी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोटर साइकिल न पाने की वजह से मेरी लड़की को उसके ससुरालजन के लोगों ने जहर देकर जान से मार दिये हैं। प्रार्थी के तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 18/2021 धारा 498ए, 306, 504, 506 भादवि व 3/4 D.P. ACT थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रचलित है।

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु अभियान के तहत दिनांक 26.06.2021 को मुखबीरी सूचना पर प्र०नि० देवानन्द थाना कप्तानगंज आजमगढ़ मय हमराह के मुखबीरी सूचना के आधार पर 3 वांछित अभियुक्त गण/ अभियुक्ता 1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र राजेश कुमार, 2. राजेश कुमार पुत्र शिवजोर, 3. उषा देवी पत्नी राजेश कुमार साकिनान कस्बा कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित मु०अ०सं० 18/2021 धारा 498ए, 306, 504, 506 भादवि व 3/4 D.P. ACT को वहद ग्राम कस्बा कप्तानगंज दरवाजा अभियुक्त गण समय 08.15 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु०अ०सं० 18/2021 धारा 498ए, 306, 504, 506 भादवि व 3/4 D.P. ACT

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र राजेश कुमार सा० कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
2. राजेश कुमार पुत्र शिवजोर सा० कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
3. उषा देवी पत्नी राजेश कुमार सा० कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

1. SHO देवानन्द मय हमराह, थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
2. हे०का० विरेन्द्र यादव थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

थाना- कप्तानगंजलड़की का अपहरण करने वाला गिरफ्तार

प्रार्थी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ न थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि मेरी लड़की जिसकी शादी किशन तिवारी पुत्र स्व० आनन्द तिवारी ग्रा० हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ हुयी है। मेरी लड़की जिला अस्पताल आजमगढ़ में संविदा पर नर्स का काम करती है। उसके ससुराल के बगल का अर्जुन यादव पुत्र हनुमान यादव ग्रा० हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ जबरदस्ती मेरी लड़की से शादी करना चाहता है जिसके डर से मेरी लड़की मेरे घर पर रह कर ड्यूटी करने आजमगढ़ जाती आती है। दिनांक 20.10.20 को समय 7.30 AM सुबह मेरी लड़की को मेरा लड़का मोटर साइकिल से लेकर चला कि समय करीब 7.45 AM सुबह के आस पास मेरा लड़का फोन करके बताया कि अर्जुन यादव 6 आदमी को लेकर पाशीपुर पुलिया के पास स्कार्पियो व मोटर साइकिल से हम लोगो को रोक कर दीदी को जबरदस्ती स्कार्पियो में बैठाकर लेकर भाग गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 184/2020 धारा 366 भा०द०वि० व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत कर, विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये गये अभियान के तहत दिनांक 26.06.2021 को उ०नि० रमेश पटेल मय हमराह द्वारा तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर होकर मुखबीरी सूचना के आधार पर विश्वास करके दबिश

देकर उ0नि0 रमेश कुमार पटेल मय हमराहीयान के वांछित अभियुक्त मोहम्मद जुबैर पुत्र इस्तखार को समय करीब 09.00 बजे कस्बा कप्तानगंज चौराहा से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 184/2020 धारा 366 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

मो0 जुबैर पुत्र इस्तखार ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -**

उ0नि0 रमेश कुमार पटेल मय हमराह थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़

**थाना बिलरियागंज**

**दहेज हत्या के 03 वांछित गिरफ्तार**

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज आज दिनांक 26.06.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के नया चौक पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मु0अ0सं0 108/2021 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण शहाबुद्दीनपुर मन्दिर के पास खड़े कही जाने फिराक में साधन का इन्तजार कर रहा हैं। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर खास को लेकर शहाबुद्दीनपुर मन्दिर के पास आये, मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्तियों को रोका व टोका गया नाम पता पूछा गया तो क्रमशः अपना नाम 1. शंकर राम पुत्र जीत बहादुर, 2. बदामी देवी पत्नी पंकज व 3. उजाला देवी पत्नी जसवन्त निवासी ग्रामहेगाईपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया की क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देश पर उपरोक्त अभियुक्तगण को वजाफता बकायदा कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 10.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -**

- (1) पति शंकर राम पुत्र जीत बहादुर निवासी हेगाईपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- (2) जेठान बदामी देवी पत्नी पंकज निवासी हेगाईपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- (3) जेठान उजाला पत्नी जसवन्त साकिनान हेगाईपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

- 1- थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंहथाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 2- हे0का0 उपेन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 3- हे0का0 उपेन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 4- का0 प्रमोद यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 5- का0 संजीव सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 6- रि0का0 राकेश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 7- म0का0 शालिनी देवी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

**थाना- अहरौला**

**एक कुन्तल गौमांस के साथ दो गिरफ्तार, गौमांस काटने के उपकरण भी बरामद।**

दिनांक 25.06.2020 को समय 16.45 बजे वार्ड नं0 1(सन्तकबीर नगर) कस्बा माहुल से 01 कुन्तल गौमांस ,01 अदद चापड़ , 01 अदद चाकू की बरामदगी हुयी । जिसके संबंध में मु0अ0सं0 100/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत हुआ । अभियुक्त 1- राजाराम पुत्र स्व0 फूलचन्द अभियुक्ता 2- बदामी पत्नी मुन्ना निवासीगण वार्ड नं0 1(सन्तकबीर नगर) कस्बा माहुल थाना अहरौला आजमगढ़ को मौके पर ही मय माल गिरफ्तार किया गया । जबकि अभियुक्तगण 1- मुन्ना 2 - प्रदीप उर्फ विनोद पुत्रगण राजाराम निवासी वार्ड नं0 1(सन्तकबीरनगर) कस्बा माहुल थाना अहरौला आजमगढ़ मौके से फरार हो गये । जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री जावेद अख्तर के द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा चलाये जा रहें गोवध के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत दिनांक- 25.06.2021 को थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला के निर्देशन में उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय हमराहीयान द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त 1- राजाराम पुत्र स्व0 फूलचन्द अभियुक्ता 2- बदामी पत्नी मुन्ना निवासीगण वार्ड नं0 1(सन्तकबीर नगर) कस्बा माहुल थाना अहरौला आजमगढ़ को 01 कुन्तल गौमांस ,01 अदद चापड़ , 01 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तारी का स्थान -** वार्ड नं0 1(सन्तकबीर नगर) कस्बा माहुल**समय 16.45 बजे दिनांक 25.06.21**

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 100/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियमथाना अहरौला जनपद आजमगढ़

## गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1- राजाराम पुत्र स्व० फूलचन्द अभियुक्त
- 2- बदामी पत्नी मुन्ना निवासीगण वार्ड नं० 1(सन्तकबीर नगर) कस्बा माहुल थाना अहरौला आजमगढ़

### बरामदगी-

01 कुन्तल गौमांस, 01 अदद चापड़, 01 अदद चाकू ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० विजय प्रकाश मौर्य , का० विनोद कुमार गिरी ,का० ऋषिकेश यादव ,का० दीपनरायण यादव , थाना अहरौला आजमगढ़
- 2- रि०का० अनिल कुमार केशरी व म०का० सन्धा सिंह चौहान, थाना अहरौला आजमगढ़ ।

### थाना-निजामाबाद

#### 02 वांछित/वारण्टी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में दिनांक- 26.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह मय हमराह द्वारा आदेश के क्रम में 02 नफर वारंटी 1. शहजाद पुत्र सज्जू 2. मेराज पुत्र राजु उर्फ रज्जू निवासीगण पठानटोला कस्बा व थाना सरायमीर आजमगढ़ संबंधित मु०अ०सं० 140/20 धारा 364,147,149,323,504 भादवि को मा० न्यायालय द्वारा प्राप्त वारण्ट के आदेश के अनुपालन में अभियुक्तगण को मुखबिर खास की सूचना पर खुदादादपुर तिराहे से समय करीब 9.30 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. शहजाद पुत्र सज्जू निवासी पठानटोला कस्बा व थाना सरायमीर आजमगढ़
2. मेराज पुत्र राजु उर्फ रज्जू निवासी पठानटोला कस्बा व थाना सरायमीर आजमगढ़

#### गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह थाना निजामाबाद, आजमगढ़
2. का० नीरज कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़
3. का० विक्रान्त कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़
4. का० हर्षित कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़
5. म०का० पुष्पलता सिंह थाना निजामाबाद, आजमगढ़

### थाना बिलरियागंज

#### गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणव क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा आज दिनांक 26.06.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वांछित /वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के जैगहा बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मु०अ०सं० 83/2021 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़ का वांछित अभियुक्त आरिफ कही जाने के फिराक में नसीरपुर चौराहे पर साधन का इन्तजार कर रहा है इस सूचना पर विश्वास करके थानाध्यक्ष मय हमराहीयान के प्रस्थान कर नसीरपुर चौराहे से कुछ दूर वाहन रोककर पैदल- पैदल चौराहे के पास पहुँचे अभि 0 आरिफ यूनियन बैंक के बगल में खड़ा दिखाई दिया कि पुलिस टीम द्वारा एक वारगी घेरघार कर पकड़ लिया गया। जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर वजाफता बकायदा समय करीब 05.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। **अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।**

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आरिफ पुत्र मोहसिन सा० नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 2- हे०का० उपेन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 3- का० प्रमोद यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 4- का० संजीव सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 5- रि०का० राकेश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 6- म०का० शालिनी देवी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

### थाना- रानी की सराय

#### एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी/की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के कुशल नेतृत्व में ब०उ०नि० अनिल कुमार मिश्रा मय हमराह कां० शशिभूषण द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 30/2021 धारा 8/20 NDPS एक्ट में नामजद वांछित अभियुक्त अनिल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० सन्तु गुप्ता ग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को मूखबीरी सूचना पर आज दिनांक 26.06.2021 को समय करीब 10.15 बजे चेकपोस्ट मंदिर के पास से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु०अ०सं० 30/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

अनिल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० सन्तु गुप्ता ग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

ब०उ०नि० अनिल कुमार मिश्रा, व कां० शशिभूषण थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।